न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 54/2023 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र शेरसिंह यादव, निवासी 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013

GCMS No-2023/117

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.5.2023, 10.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि खसरा नम्बर 544/1 नया नम्बर 823/544 की तरमीम बाबत गठित टीम दिनांक 27.12.2022 वाके ग्राम दौलतपुरा बाबत श्रीमान जिला कलेक्टर स0मा0 के निर्णय की पालना मे तहसीलदार द्वारा जारी पत्र तथा दिनांक 4.4.2023 को अजीत शेखावत पुत्र ओनाड सिंह ग्राम दौलतपुरा द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ या जवाब मय संलग्नक दस्तावेज एवं रिकार्ड की प्र0प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये डाक–ईमेल अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2023 न्यायालय को भिजवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.5.2023, 10.5.2023 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को अभी तक प्राप्त नही हुई है अतः सूचना दिलवायी जावे। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस कमांक/भू0अ0/2023/4426–27 दिनांक 22.9.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.5.2023 व 10.5.2023 मे चाही गयी सूचना कुल 7 पृष्ठो के लिए 14/–रू शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने के लिए तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 3326 दिनांक 12.7.2023 से अपीलान्ट को लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी थी किन्तु अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट को 7 पृष्ठों की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 4425 दिनांक 22.9.2023 से निः शुल्क भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील ख़ारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.5.2023,10.5.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना के लिए शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को तत्समय सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है किन्तु अब जरिये पत्रांक 4425 दिनांक 22.9.2023 से अपीलान्ट को 7 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है एवं अजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के साथ संलग्न दस्तावेजो की छायाप्रति होने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना [illegible] है चूंकि कार्यालय मे उपलब्ध सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उप[illegible]यी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner